न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

32

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1649–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–4–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 511/अपील/2013–14.

.....

मनोज कुमार पिता श्री बिहारीलाल कलाल
निवासी ए0बी0रोड धामनोद जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

लतीफ खॉ पिता अब्दुल रहमान
निवासी ए0बी0रोड धामनोद जिला धार

.....अनावेदक

श्री जीतेन्द्र जाधव, अभिभाषक– आवेदक
श्री महेश लढडा, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार धरमपुरी जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम गुलझरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 75 रकबा 2.377 हेक्टेयर भूमि है । उक्त भूमि पर जाने के लिये आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 81 की उत्तरी मेढ़ से वर्षो से पुराना रास्ता था जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 19–8–13 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–8–14 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई ।

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–4–15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से रूढिगत रास्ता होना प्रमाणित नहीं किया गया है । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि दिनेश व राकेश से क्रय की गई है और उनके समय से ही रास्ता होने का कथन बतलाया गया है लेकिन उनकी साक्ष्य नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 81 पूर्वी छोर से पुरातन समय से रास्ते का उपयोग कर रहा है और अन्य कृषक भी कर रहे हैं । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा केवल कल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है, स्थल निरीक्षण से रूढिगत रास्ता सिद्ध नहीं किया जा सकता है उसके लिये साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है । तर्क के समर्थन में 1974 आरएन 375 एवं 1988 आरएन 292 व 2012 आरएन 259 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग अनावेदक वर्ष 1936 से पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा है, जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है ।

(2) तहसीलदार द्वारा इस आधार पर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है कि सर्वे नम्बर 82 से रास्ता उपलब्ध है जो कि उचित नहीं है ।

सर्वे नम्बर 82 के बाद सर्वे नम्बर 81 में आकर ही वह अपनी भूमि पर पहुॅच सकता है ।

(3) यदि अनावेदक को सर्वे नम्बर 81 से रास्ता नहीं मिला तो वह अपनी भूमि पर नहीं पहुॅच सकता है, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(4) तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन रास्ते पर रूढिगत रास्ते के चिन्ह नहीं है, जबकि यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा रास्ते रोके जाने से एवं चिन्ह मिटाने से यह विवाद उत्पन्न हुआ है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधि विपरीत होने से उनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने अनावेदक को केवल 1/2 दूरी तक ही रास्ता दिया है, जो न्यायसंगत कार्यवाही नहीं है । अतः अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय का आदेश को निरस्त करने में तो कोई त्रुटि नहीं की है, लेकिन अपर आयुक्त ने अनावेदक को कोई रास्ता नहीं दिया है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा कार्यवाही अधूरी छोड दी गई है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे पुनः उभयपक्ष को सुनकर आवश्यक साक्ष्य लेकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायलय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे पुनः उभयपक्ष को सुनकर आवश्यक साक्ष्य लेकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर